THE DEPUTY CHAIRMAN: The whole House is associating with you... (*Interruptions*)...

आप क्या बोल रहे हैं ? प्रिविलेज क्या है ?

श्री ईश दत्त यादव : हमारा एक प्रिविलेज मोशन है । विशेषाधिकार हनन का मामला है...

उपसभापति : आपने दिया है ?

श्री ईश दत्त यादव : मैंने 25 तारीख को दिया है । उसमें केवल एक मिनट आपसे निवेदन करूंगा ।

उपसभापति : मुझे मालूम नहीं है कि आपका क्या है ?

श्री ईश दत्त यादव : मैं निवेदन करना चाहूंगा । मैडम सुन लीजिए । 9-10 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के देवरिया में रामकोला चीनी मिल पर किसानों पर वहां की सरकार ने फायरिंग कराई जिससे दो किसान मर गए और सैंकड़ों घायल हो गए । इसकी वास्तविकता की जानकारी हासिल करके इस सदन में उठाने के लिए मैं जा रहा था । देवरिया डाक बंगले में एक बजे रात को वहां के डी० एम० ने मुझे गिरफ्तार किया ...

एक माननीय सदस्य : आपको ?

श्री ईश दत्त यादव : मुझे एक बजे रात को डी० एम० देवरिया ने जब मैं डाक बंगले में..... (व्यवधान) डी० एम० देवरिया ने और उनके अधीनस्थ अधिकारियों तथा पुलिस के लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और रात में सेंट्रल जेल वाराणसी भेज दिया । सबसे जो गलत काम किया उन्होंने वह यह कि इस सदन को और आपको मेरी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी । आठ दिन मैं जेल में रहा । मेरे साथ डी० एम० देवरिया ने, उनके अधीनस्थ अधिकारियों तथा पुलिस के लोगों ने जो दुर्व्यवहार किया और इस सदन की अवमानना की मैं उसको विस्तार में बताऊंगा मैडम, अभी नहीं जब वह मामला आ जाएगा लेकिन इस सदन के सारे सदस्यों को अपमानित किया, गालियां दी, उस रात को जब मेरी गिरफ्तारी की थी । मेरा यह विशेषाधिकार हनन का मामला आपके विचाराधीन है । मेरा अनुरोध है कि इसको स्वीकार करके प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दें ।

उपसभापति : अभी मेरे विचाराधीन नहीं है । अभी मुझे पता भी नहीं है । सेक्रेटेरियेट ने पूरी इत्तिला नहीं दी थी कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है । किसी मेम्बर के साथ कोई दुर्व्यवहार हो तो उसके लिए हम लोगों ने हमेशा एक्शन लिया है । जैसे ही चेयरमैन साहब मुझे भेजेंगे, मैं जरूर उस बारे में सूचना दूंगी ।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Madam, I am on a technical point... (*Interruptions*)...

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, only one minute on this... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Central Laws (Extension to Arunachal Pradesh) Bill 1992. It is for introduction. (*Interruptions*)...Yes, Mr. Chavan.

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, यह एक बड़ा ही सीरियस मसला है । ... **(व्यवधान)** इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है ।

उपसभापति : मुझे भी खबर नहीं दी है ।

THE CENTRAL LAWS (EXTENSION TO ARUNACHAL PRADESH) BILL, 1992

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Madam,... (*Interruptions*)...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Madam, I have an objection.

उपसभापति : इंटरएक्शन तो हो जाने दीजिए । ..... **(व्यवधान)** आपका हर प्राब्लम होता है बिल के इंट्रोडक्शन में । .... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा एक प्राब्लम है ।

उपसभापति : हिंदी में नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : नहीं यह जो बिल का इंट्रोडक्शन है, इस पर मेरा आब-जेक्शन है ।... **(व्यवधान)**

उपसभापति : आपका क्या प्राब्लम है ? .....**(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय इस बिल के .....**(व्यवधान)**

उपसभापति : यह बिल इंट्रोडक्शन होते ही.....**(व्यवधान)**

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat) : Madam, I am on a technical point... (*Interruptions*)...

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar) : Madam, this should come before the Bill. Is it not?... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, no. The Bill has to be introduced only and then we will take it up. It is not for passing now; it is only for introduction at this stage. That is the procedure.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभापति जी इस विधेयक के जरिए 1862 का कानून, 1874 का कानून, 1876 का कानून, 1881 का कानून, 1884, 1888, 1905 का कानून....**(व्यवधान)** और 1941 पहले कानून जो 1862 का है, वह 130 वर्ष पहले पारित हुआ था । आज तक वह सरकार के हिसाब से वहां से पहले लागू नहीं हुआ है ।

तो इसके जो उद्देश्य और कारण हैं इस बारे में इस बात की चर्चा नहीं है । उद्देश्य और कारण इसीलिए रखे जाते हैं कि आखिर कौनसी ऐसी जरूरत पड़ गई कि जो कानून केन्द्र सरकार ने आज से 130 वर्ष पहले पारित किया था उसको अरुणाचल प्रदेश में लागू करने की अब जरूरत पड़ गई है । इसलिए मेरी आपत्ति है, कि जो स्टेटमेंट आफ आबजेक्टस एंड रीजन्स है वह क्लियर-साफ नहीं है । उद्देश्य और रीजन्स को इसमें लाया जाए और उसके बाद ही मंत्री जी को अनुमति दी जाए कि वह इसको इंट्रोड्यूस करें ।

उपसभापति : वह बता दें मंत्री जी । .....वह बता रहे हैं ।

SHRI S. B. CHAVAN : All these things become relevant only at the time of consideration of the Bill. This is merely the introduction stage... (*Interruptions*)...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: That is why we want a clear Statement of Objects and Reasons.

SHRI S. B. CHAVAN : I will be able to explain to you and convince you that there are some special reasons for which this has become necessary and this has been done on the advice given by the Ministry of Law. The State has come into existence on a particular date and, therefore, it becomes necessary to extend these laws to that State. The consent of the House will be necessary when the Bill is taken up for consideration. Now this is just introduction.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Madam, I have already said that there are laws which were passed about 130 years ago which they want to extend now to Arunachal Pradesh. If there is a necessity to extend those laws now, it should have been explained properly in the Statement of Objects and Reasons. That is my objection.

उपसभापति : यकीनन, कोई न कोई आवश्यकता होगी जो वह लेकर आये हैं और जो होगी, वह बता रहे हैं और बतायेंगे ।

SHRI S. B. CHAVAN : Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the extension of certain Central laws to the State of Arunachal Pradesh.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI S. B. CHAVAN : Madam, I introduce the Bill.

THE PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 1992

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUM. GIRIJA VYAS) : Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Press Council Act, 1978.

The question was put and the motion was adopted.

KUM. GIRIJA VYAS : Madam, I introduce the Bill.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : *

THE DEPUTY CHAIRMAN : This is not recorded.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat) : Madam. I have been standing for a long time... (*Interruptions*)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : गुस्ताखी माफ करें ।

उपसभापति : जी, माफ कर दी। एडवांस में कर दी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैडम, क्या स्वामी जी ने परमिशन ले कर अपनी बात कही थी ? आप मुझे बीच में ही टोक देती हैं। उन्होंने परमिशन ली थी क्या ? ... (**व्यवधान**) आपने परमिशन दी थी ।

उपसभापति : किसको ? वह रिकार्ड नहीं हुई । आपने मेरा कमेंट नहीं सुना ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मगर बोलने तो दिया आपने ।

उपसभापति : अब बोलने के लिए मेरे हाथ में कोई कुछ तो है नहीं कि उनके मुंह में लगा दूं ।

*Not recorded.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मगर मेरे मुंह पर तो आप लगा देती हैं।

उपसभापति : मेरी सिर्फ एक ही शक्ति है कि रिकार्ड पर ही नहीं आने दूं । ... (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : लेकिन थोड़ी सी शिकायत जरूर सुन लीजिए ।

उप-सभापति : आप शिकवा-शिकायत जरूर करिए । (**व्यवधान**) Special Mentions.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI : Madam. I have been wanting to say...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Special Mentions.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI : This concerns the very propriety of this House. There is a very strange situation... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : We are having Special Mentions.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI : Madam, this is concerning democracy and the very propriety of this House. Certain authorities on whom we have vested all the powers—this is the creation of this House —if that authority talks to the media, Madam, that becomes a public thing. The whole world, the whole country debates on it. And we are not permitted. Madam, the technical point is, I am talking about the briefing of the Chairman of the JPC. When he says something...

THE DEPUTY CHAIRMAN : That cannot be taken up on the floor of the House.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI : ...it becomes a public document. Madam, it is clear that the Finance Minister was privy to all the things. But he withheld it for the presentation of the Budget. And the chaos which has been created in this country is because of that... (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please, we cannot go on. I will not permit. (*Interruptions*) I am not permitting it.